राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.12(4)नविवि / 2021 जयपुर, दिनांकः 5 MAR 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम –1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन 1959 की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा खसरा संख्या 422, 423, 436 / 2081, 437 / 2082, 439 / 2084, 443 / 1012, 447 / 2083 ग्राम जैसलमेर में स्थित रकबा 390.17 बीघा भूमि पर आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है :–

उत्तर – राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या –418, 421
दक्षिण – राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या – 444, 443 / 1013
पूर्व – राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या – 447, 439, 437 ग्राम सडिया खसरा संख्या 26, 43, 44(एन एच बाईपास सडक जोधपुर से बाडमेर)
पश्चिम – खसरा संख्या –423, 436, 440, 443 / 1013, 473

उपरोक्त योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 390.17 बीघा है। योजना क्षेत्र का विवरण और मानचित्र नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसको किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

–Sd–

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
4. अध्यक्ष नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राज पत्र के असाधारण अंक दिनांक 05.03.2020 प्रकाशित कराये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय